LUMAX

Lumax Industries Limited

REGD. & CORPORATE OFFICE :
B - 85-86, Mayapuri Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110064 (INDIA)
Phone : +91 11 28111777, 28116990 Fax : +91 11 28115779
E-mail : cao@lumaxmail.com
(CIN: L74899DL1981PLC012804)

D K JAIN GROUP

Our Ref. LIL:CS:BM:17-18 Date 06-05-2017

The National Stock Exchange of India Ltd.
Listing Department
Exchange Plaza, C-1 Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400051

Company Code – LUMAXIND

The General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
1st Floor, Rotunda Building
P.J. Towers, Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001.

Company Code – 517206

Sub: **News paper cutting of Notice of Board Meeting to be held on 13-05-2017**

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed copies of the Board Meeting Notice published in the Newspapers on 06-05-2017 viz. the Financial Express (English-All-edition) and Jansatta (Hindi-Delhi) for your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **LUMAX INDUSTRIES LIMITED**

LUMAX INDUSTRIES LTD. * NEW DELHI *

SHWETANK TIWARI
COMPANY SECRETARY
Encl. : as above

Centre seeks AAP explanation on overseas funding

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, May 5

THE GOVERNMENT ON Friday asked the Aam Aadmi Party to furnish details of its overseas funding following suspicion of violation of law, a move which was termed as 'witch hunt' by Delhi's ruling party.

In a communication, the ministry of home affairs asked the Arvind Kejriwal-led party to explain certain fundings from abroad after suspecting that the party might have violated the provisions of the Foreign Contribution Regulation Act, officials said here.

The officials made it clear that it was not a show cause notice and a decision on it would be taken only after the AAP submits its reply.

Reacting to the Centre's move, the AAP said it was a clear case of 'political witch hunt', which was very 'dangerous' for democracy.

NIRBHAYA CASE

SC upholds death for December 16 accused

ANANTHAKRISHNAN G
New Delhi, May 5

CALLING THEIR CRIME 'most brutal, barbaric and diabolical', the Supreme Court on Friday upheld the death sentence for the four men convicted of the rape and murder of the 23-year-old paramedical student onboard a bus on December 16, 2012. The death sentence was awarded to them by a trial court and later confirmed by the High Court.

Asha Devi, mother of the December 16 victim, at the Supreme Court on Friday PRAVEEN KHANNA

The case, which prompted nationwide protests and led to changes in rape laws was the 'rarest of rare', the court said as it dismissed appeals filed by the convicts Mukesh, Pawan Gupta, Vinay Sharma and Akshay Kumar Singh. The three-judge bench comprising Justices Dipak Mishra, Ashok Bhushan and R Banumathi said, in two separate judgements, that the appellants deserved the death sentence.

In one, Justices Dipak Mishra and Ashok Bhushan minced few words while upholding the extreme punishment for the appellants.

"It is necessary to state here that in the instant case, the brutal, barbaric and diabolic nature of the crime is evincible from the acts committed by the accused persons...The casual manner with which she was treated and the devilish manner in which they played with her identity and dignity is humanly inconceivable.

"It sounds like a story from a different world where humanity has been treated with irreverence. The appetite for sex, the hunger for violence, the position of the empowered and the attitude of perversity, to say the least, are bound to shock the collective conscience which knows not what to do," the judges said in their order.

The judges rejected the appellants' plea that they were poor, were married with young children, had aged parents and were on the reformative path in prison.

SP splits, Shivpal announces new front

FE BUREAU
Lucknow, May 5

BARELY A MONTH after the Samajwadi Party suffered a humiliating defeat in the Assembly elections in Uttar Pradesh, the feud within the Yadav clan took another ugly turn with former Uttar Pradesh minister and Akhilesh Yadav's uncle, Shivpal Yadav confirming on Friday that he was breaking away from the party. Shivpal announced that he will launch his own outfit, the Samajwadi Secular Morcha, which would be headed by his brother, Mulayam Singh Yadav.

A day after Shivpal triggered a fresh controversy by accusing nephew and former chief minister Akhilesh Yadav of not handing over the reigns of the party to his father Mulayam, Shivpal said on Friday that the veteran politician will head the secular front to be formed to ensure social justice.

Mulayam had founded the Samajwadi Party in 1992 and the past year had seen some intense and ugly infighting within the Yadav family, with former UP chief minister Akhilesh trying to wrest control of the party from his father

Mulayam had founded the Samajwadi Party in 1992 and the past year had seen some intense and ugly infighting within the Yadav family, with former UP chief minister Akhilesh trying to wrest control of the party from his father. The rift in the party reached a culmination with Mulayam first expelling his son from the party and later lifting the expulsion. Following this, Akhilesh took over as the national president of the party in place of his father.

"Neta ji ko unka sammaan vapas dilane, aur Samajawadiyon ko ek saath laane ke liye is morche ka jald hi ailaan hoga (To return the respect due to Netaji, and to bring the real Samajwadis together, we will soon announce this front)," Shivpal said in Etawah.

GOVERNMENT OF TAMIL NADU
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ DEPARTMENT
Rate Contract for 536 No. of Pushcarts
Salem District
SHORT TERM ELECTRONIC RETENDER NOTICE
Roc.No.389/2017/A6 Dt. : 05.05.2017
1. For details, visit **www.tntenders.gov.in**
2. e-Bids are invited by Project Director, DRDA, Salem District of Tamil Nadu state under Two Cover System for 536 no. of Pushcarts Retender for the year 2016-2017
3. The Package wise bid documents can be downloaded free of cost from **www.tntenders.gov.in** from **06.05.2017 to 25.05.2017**
4. Last Date and Time for downloading and submission of Bid Documents **25.05.2017 up to 03.00 pm**
5. Date and Time of online opening of Bid Documents **25.05.2017 04.00 pm**

Project Director,
District Rural Development Agency, Salem.
DIPR/ 1952 /TENDER/2017

STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED
ALLOY STEELS PLANT
DURGAPUR- 713 208
Tender Notice
Ref: P/502761038 Date: 3/05/2017
Tenders are invited by SAIL/ASP as per the following:
1. Tender Enquiry No.: P/502761038, dtd: 03/05/2017 for 16 T Fe Si Zr.
Last date for tender submission: **12.30 PM on 16/05/2017.**
Date & Time of Tender Opening: **2.30 PM on 16/05/2017.**
The Tender details can be downloaded from our website www.sailtenders.co.in.
For Plant- 'Alloy Steels Plant'.
Registered Office: Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi 110 003
Corporate Identity Number : L27109DL1973GOI006454, Website: www.sail.co.in
There's a little bit of SAIL in everybody's life

CSL FINANCE LIMITED
(Formerly known as 'Consolidated Securities Limited')
Regd. Office: 8/19, Ground Floor, Pusa Lane, W.E.A., Karol Bagh, New Delhi-110005
(**CIN:** L74899DL1992PLC051462; **Tel/Fax:**011-42503442; **Email:**info@cslfinance.in; **Web:** www.cslfinance.in)
NOTICE
Pursuant to the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 16th May, 2017, at the registered office of the company at 2:00 pm to consider and approve audited financial results of the company for the financial year ended on 31.03.2017. As per the Company's Code of Conduct to regulate, monitor and report trading by Insiders, the trading window for dealing in the securities of the Company shall remain closed from 08.05.2017 to 19.05.2017 (both days inclusive).
The said notice is also available on the website of the Company i.e. www.cslfinance.in and on the website of Stock Exchange i.e. www.bseindia.com.
By order of the Board
Sd/-
Place : New Delhi (Akash Gupta)
Date : 05.05.2017 Company Secretary

Mahanagar Telephone Nigam Limited
Khurshid Lal Bhawan, Janpath, New Delhi-110050
NOTICE INVITING TENDER
On behalf of MTNL, New Delhi vide Tender enquiry:
1. No. EE(C)/South/MTNL/17-18/NIT/01 Online item rate tenders (Two Bid System) are invited by EE (C) South of CE (Civil) unit for Construction of Boundary Wall at Jaunapur (Khasra No. 45/4/2), New Delhi (Estimated Cost : Rs. 9,06,229/-).
2. No. 01/EE(C)CGO/MTNL/NIT/2017-18 Online item rate tenders (Two Bid System) are invited by EE (Civil) CGO of CE (Civil) unit for Civil work for New Operation & Maintenance Centre at 3rd Floor, TE Building, Karol Bagh, New Delhi (Estimated Cost : Rs. 5,62,636/-).
3. No. EE(E) TY/MTNL/2017-18/02 Online item rate tenders are invited for SITC of 4x11 TR AC package units for 3G at Ist Floor, TE Building, Laxmi Nagar, Delhi (Estimated Cost : Rs. 36,30,660/-).
4. No. EE(E)-KBN/CE(E)/MTNL/17-18/139 Online item rate tenders are invited for SITC of AC work for different RSU/RLU/TE Bldgs. under EE(E), KBN, MTNL, New Delhi (Estimated Cost : Rs. 56,92,190/-).
5. No. EE(E)-KBN/CE(E)/MTNL/2017-18/140 Online tenders are invited for Comprehensive maintenance of different capacity package/ ductable AC units at TE Bldg., MTNL, JLN Marg, ND (Estimated Cost : Rs. 57,70,800/-).
6. No. EE(E)-KBN/CE(E)/MTNL/2017-18/141 Online tenders are invited for SITC of ductable type AC units at Akashwani RSU, MTNL, ND (Estimated Cost : Rs. 8,73,300/-).
7. No. GM(West)/AGM(A)/Open Tender/Repair of SMPS Modules/ 2017-18/02 Offline bids in two parts (Techno-Commercial & Financial Bid) are invited for repair of SMPS modules under various divisions of GM (West) (Estimated Cost : Rs. 9,00,000/-).
For online tender visit e-procurement website : **https://www.tcil-india-electronictender.com** & **http://www.eprocure.gov.in**
For detailed information please visit our website **http://etender.mtnldelhi.in** & **http://www.tenders.gov.in**
Transparency Makes us Different !

Biocon
BIOCON LIMITED
CIN - L24234KA1978PLC003417
Regd. Office: 20th KM, Hosur Road, Electronics City, Bangalore – 560100.
Email: co.secretary@biocon.com.
website: www.biocon.com.
Tel: 91 80 2808 2808, Fax: 91 80 2852 3423.
NOTICE
Members are hereby informed that pursuant to the provisions of section 110 of the Companies Act, 2013, read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has on May 05, 2017 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice, along with the Postal Ballot Form to all the members whose name appears on the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on April 28, 2017. The Postal Ballot Notices are sent (a) through electronic mail to the members whose email IDs are registered in the records of depository participants (b) through physical mode, along with a postage- prepaid self-addressed Business Reply Envelope to those members whose email IDs are not registered with the Company/ Depository Participants. The Postal Ballot notices are sent for seeking approval of the shareholders of the Company by Postal Ballot, including voting by electronics means, for the following matters:

Item No.	Description of the Resolutions
1.	Special Resolution for increase in the Authorized Share Capital of the Company from Rs. 110 crores to Rs. 300 crores and consequent alteration in the Memorandum of Association of the Company.
2.	Ordinary Resolution for capitalisation of free reserves and issue of Bonus Shares in the ratio of 2:1.

The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited (Karvy) for the purpose of providing e-voting facility to all its members. Members are requested to note that the voting, both through Postal Ballot and through electronic mode shall commence from Saturday, May 06, 2017 (09:00 hours IST) and shall end on Sunday June 04, 2017(18:00 hours IST).
The Board of Directors has appointed M. Damodaran, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the postal ballot/ e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that the duly completed and signed postal ballot forms should reach the Scrutinizer not later than 18:00 hours IST on June 04, 2017. Postal ballots received after 18:00 hours IST Sunday, June 04, 2017 will not be considered as valid.
Members whose name appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on April 28, 2017 (relevant date) will be considered for the purpose of voting. A person who is not a member as on the relevant date should treat this notice for information purpose only.
Any member who does not receive the Postal Ballot Form may either send an email to **co.secretary@biocon.com** or may apply to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company/ Company and obtain a duplicate postal ballot form. The Postal Ballot Notice & Postal Ballot Form can also be downloaded from the Company website **http://www.biocon.com/biocon_invrelation_postal_ballot.asp.**
The result of the postal ballot shall be declared by the Chairperson/ any Director of the Company/ Company Secretary on or before June 07, 2017 and communicated on the same day to the stock exchanges, depository, registrar and share transfer agent and shall also be displayed on the Company's website **www.biocon.com.**
For any queries / grievances relating to voting by postal ballot/electronic means, members are requested to contact Mr. Suresh, Deputy Manager, Karvy Computershare Private Limited, Unit: BIOCON LIMITED, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500032 P: +91 40 6716 1518 email ID: **suresh.d@karvy.com** or at evoting@karvy.com or phone no. 040 – 6716 1500 or call Karvy's toll free No. 1-800-34-54-001 for any further clarification.
For BIOCON LIMITED
Sd/-
May 06, 2017 **Rajiv Balakrishnan**
Bengaluru, India Company Secretary

CHENNAI MEENAKSHI MULTISPECIALITY HOSPITAL LTD
CIN: L85110TN1990PLC019545
Regd. Office: New No.72 (Old No.149), Luz Church Road, Mylapore, Chennai - 600004.
Ph: 044-42938938, Fax: 044-24993282,
Email: cmmhospitals@gmail.com,
Web: www.cmmh.in
NOTICE
Pursuant to the Regulation 29(1)(a) and Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held at 4.00 p.m on Monday, 22nd day of May 2017 at the Registered Office of the Company at New No.72 Old No.149, Luz Church Road, Mylapore, Chennai - 600 004, inter alia to consider, approve and take on record the Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Year Ended 31.03.2017.
The said intimation is also available on the Company's Website at **www.cmmh.in** and may also be available on the Website of the Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com
for Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital Ltd
Chennai - 600004
Date: 03.05.2017 Company Secretary

LUMAX
Lumax Industries Ltd.
Regd. Office: B-85-86, Mayapuri Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110064
Website : www.lumaxindustries.com,
Tel: 011 28116990, Fax: 011 28115779
Email : lumaxshare@lumaxmail.com,
CIN:L74899DL1981PLC012804
NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the May 13, 2017, inter-alia, to consider and approve the 4th Quarter/ Audited Annual Financial Results for the year ended March 31, 2017 and to recommend Dividend on the equity shares of the Company for the Financial year 2016-17.
The financial results will be made available on the website of the Company at **www.lumaxindustries.com** as well as on the website of the National Stock Exchange of India Limited at **www.nseindia.com** and BSE Limited at **www.bseindia.com**
For **Lumax Industries Limited**
Place: New Delhi **Shwetank Tiwari**
Date : 05-05-2017 **Company Secretary**

sparc
Sun Pharma Advanced Research Company Limited
Regd Office: Sun Pharma Advanced Research Centre, Akota Road, Akota, Vadodara – 390 020. | Tel. No.0265-2330815
CIN No. : L73100GJ2006PLC047837 Web Site : www.sunpharma.in
Extract of Audited Financial Results for the Quarter And Year ended 31st March, 2017
₹ in Lakhs

Sr. No.	Particulars	3 Months ended 31st March, 2017 Audited	Year ended 31st March, 2017 Audited	3 Months ended 31st March, 2016 Audited
1.	Total Income from Operations	4,534	19,465	4,349
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	(3,227)	(12,027)	(958)
3.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(3,227)	(12,027)	(958)
4.	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(3,227)	(12,027)	(958)
5.	Equity Share Capital	2,469	2,469	2,367
6.	Basic / Diluted Earning Per Share (of ₹ 1/- each) (for continuing and discontinued operations)	(1.31)	(4.87)	(0.40)
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		13,496	

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges viz.www.bseindia.com and www.nseindia.com and the listed entity viz. www.sunpharma.in

Status of Utilisation of rights issue proceeds as on 31st March, 2017

Particulars of the Objects	Amount to be funded from the net proceeds (₹ in Lakhs)	Amount utilised towards objects of the issue up to 31st March, 2017 (₹ in Lakhs)	Balance unutilised amount as on 31st March, 2017 (₹ in Lakhs)
Any Research and Development activities / expenses *	19,475	13,948	5,527
General corporate purposes	5,272	4,823	449
Issue expenses	253	167	86
Total	25,000	18,938	6,062

* Revised from 'Expenditure related to any Pharmaceutical research and development' pursuant to a Special resolution passed by shareholders by way of Postal Ballot, whose results were declared on 20 September, 2016.
There is no deviation in utilisation of rights issue proceeds against objects of the issue mentioned in letter of offer.
By order of the Board
Dilip S. Shanghvi
Mumbai, 5th May, 2017 Chairman and Managing Director

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का नवरत्न उपक्रम)
(A Navratna Undertaking of Govt. of India)
कॉनकॉर CONCOR
Corporate Identity Number (CIN): L63011DL1988GOI030915
Regd. Office: CONCOR Bhawan, C-3, Mathura Road, New Delhi – 100 076
Phone: 91-11-41673093/94/95/96; Fax: 91-11-41673112
investorrelations@concorindia.com; www.concorindia.com
NOTICE TO SHAREHOLDERS
TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND
This Notice is published pursuant to the provisions of Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs effective September 7, 2016 and subsequently amended vide notification dated February 28, 2017 ("Rules").
The Rules, inter alia, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) set up by the Central Government. Accordingly, the Company has communicated to the concerned shareholders at their latest available address, individually whose shares are liable to be transferred to IEPF under the said Rules for taking appropriate action.
The Company has uploaded the details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF on its website www.concorindia.com. Shareholders are requested to refer to Investor Relations section on the company website www.concorindia.com to verify the details of un-encashed dividends and the shares liable to be transferred to IEPF.
The shareholders concerned are requested to make an application to the company/ registrar by 20.05.2017 with a request for claiming the unpaid dividend for the year 2009-10 (Final) onwards so that the shares would continue to be registered in their names. It may please be noted that if no reply is received by the Company or the Registrar by 20.05.2017, the Company will be compelled to transfer the shares to the IEPF, without any further notice, by following the due process as under:
i) In case of shares held in demat mode – by transfer of shares directly to demat account of IEPF Authority with the help of Depository Participants.
ii) In case of shares held in physical form – by issuance of duplicate share certificate and thereafter transferring the same to IEPF Authority.
It may be noted that the shares transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed from the IEPF Authority by following the procedure prescribed under the relevant Rules.
Kindly note that all future benefits, dividends arising on such shares would also be transferred to IEPF.
All shareholders are requested to note the above provisions and claim all unpaid dividend from time to time.
Any shareholder(s)/person(s) who has/have any claim(s)/queries in respect of such shares or for any clarification on the above matter, may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, New Delhi-110062 Ph.: 011-29961281/82/83; Fax No.: 011-29961284; email: beetalrta@gmail.com.
For Container Corporation of India Limited
New Delhi, India Sd/-
05th May, 2017 Executive Director (Finance) & CS

ITI LIMITED ITI आईटीआई लिमिटेड
NSU Block, Dooravaninagar,
BANGALORE-560016
CIN No: L32202KA1950GOI000640 Ph:080-25660512/26
Ref:Corp/MKTG/Smart City/TC/1 Date 05.05.2017
EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
ITI Limited, the leading Telecom/IT Company, invites EOI from reputed firms for **Selection of Partners for Technology Services.**
For details / amendments/refloating of EOI, please log on to www.itiltd-india.com (under 'Tenders/ EOIs & EOIs - Corporate ') / www.eprocure.gov.in
Chief Manager-IoT Marketing

UNISTAR
MP BIRLA GROUP
Universal Cables Limited
Regd. Office: P. O. Birla Vikas, Satna - 485 005 (M.P.)
CIN: L31300MP1945PLC001114
Phone: (07672) 257121 to 257127, 414000 • Fax: (07672) 257131
E-mail: headoffice@unistar.co.in • Website: www.unistar.co.in
EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017
(₹ in lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2017	Year ended 31.03.2017	Corresponding Quarter ended 31.03.2016
1	Total Income from Operations	**28,001.94**	**90,934.80**	24,295.73
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	**597.94**	**2,250.92**	974.80
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	**597.94**	**2,250.92**	974.80
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	**540.25**	**2,838.65**	1,193.95
5	Equity Share Capital	**3,469.83**	**3,469.83**	3,469.83
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	**18,003.92**	**18,003.92**	15,165.27
7	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) :			
	1. Basic	**1.56**	**8.18**	3.44
	2. Diluted	**1.56**	**8.18**	3.44

Notes:
(a) During the year ended on 31st March, 2016, the Company allotted 1,15,65,127 equity shares of face value of ₹ 10/- each for cash at a price of ₹ 51/- per equity share (including a premium of ₹ 41/- per equity share) aggregating to ₹ 5898.21 lakhs, pursuant to Letter of Offer dated 14th September, 2015. However, dispatch of share certificate(s) in physical form and credit in the respective demat account(s) in respect of 27,05,553 number of additional equity shares, in aggregate, allotted to certain allottees under category "C" of the basis of allotment as per Letter of Offer have not yet been completed in view of the status-quo order passed by the Hon'ble High Court of Delhi on 18th November, 2015.
(b) The above is an extract of the detailed format of Audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2017, as filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the stock exchanges : www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the Company's website: www.unistar.co.in.
AMA-UC-131
For UNIVERSAL CABLES LIMITED
(HARSH V. LODHA)
Place : New Delhi CHAIRMAN
Date : 5th May, 2017 DIN: 00394094

Rohit Ferro-Tech Limited
Regd. Office: 35, Chittaranjan Avenue, Kolkata - 700 012
Phone No. : +91-33-2211 0225; E-mail: cs@rohitferrotech.com
Corporate Office: SKP House, 132A, S. P. Mukherjee Road, Kolkata - 700 026
Phone No. : +91-33-4016 8000/8100; Fax: +91-33-4016 8191/8107
CIN: L27104WB2000PLC091629, website: www.rohitferrotech.com
NOTICE TO SHAREHOLDERS
[Transfer of Equity Shares to the demat account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF)]
Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended by the Ministry of Corporate Affairs with effect from 28th February, 2017 (IEPF Rules), all the Equity Shares of the Company in respect of which dividends have remained unclaimed or unpaid for a period of seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company to the demat account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.
The Company has sent individual notices to the concerned shareholders at their registered address whose shares are liable to be transferred to IEPF, advising them to claim the dividends.
The Company has uploaded details of concerned shareholders whose shares are due for transfer to the demat account of the IEPF Authority (IEPF Account) on its website at www.rohitferrotech.com. Shareholders are requested to refer to the said website to verify the details of unencashed dividends and the shares liable to be transferred to IEPF Account.
In case the Company does not receive any valid claim from the concerned shareholders by 22nd May, 2017, the Company shall with a view to comply with the Rules, transfer the shares to the IEPF Account by the due date as per the procedure stipulated in the Rules.
The concerned shareholders may note that upon transfer of shares to IEPF Account, including all benefits accruing on such shares, if any, the same can be claimed by them only from the IEPF Authority by following the procedure prescribed under the Rules.
The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Account, may note that the Company would as per the IEPF Rules, issue duplicate Share Certificate(s) in lieu of the original Share Certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to the IEPF Account. Upon issue of such duplicate Share Certificate(s), the original Share Certificate(s) in the name of the shareholder will automatically stand cancelled and shall deemed to be non-negotiable/non-transferable.
In respect of shares held in Demat form, delivery instruction slip shall be signed by the Company for transferring the shares to the IEPF Account, as stipulated in the said Rules.
The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed as adequate notice by the Company for the purpose of transfer of shares to the IEPF Account. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and equity shares transferred to the IEPF Account.
For further information, the concerned shareholders may contact Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd., the Registrar and Transfer Agent of the Company at 23 R.N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata – 700 001; Phone: 91-033-2248 2248/2243 5029; Fax: 91-033-2248 4787; E-mail:mdpldc@yahoo.com; Website: www.mdpl.in.
By Order of Board
Sd/-
Place : Kolkata A.P. Shaw
Date : 04.05.2017 Company Secretary

MAGMA FINCORP LIMITED
MAGMA Investing in the smallest dream
CIN: L51504WB1978PLC031813
Regd. Office: "MAGMA HOUSE" 24, Park Street, Kolkata – 700 016
Phone: 033-4401 7200/350 • Fax: 033-4402 7731
Website: www.magma.co.in • Email: shabnum.zaman@magma.co.in
NOTICE
(For the attention of the Equity Shareholders of the Company)
Mandatory transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Demat Account
This is in continuation of earlier notice published in 'Financial Express' in English Language and in 'Aajkal' in vernacular on 27 November 2016. Shareholders are hereby informed that in accordance with the provisions of Section 124(6) of the Companies Act 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (hereinafter referred to as "IEPF Rules 2016") as amended by Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017 (hereinafter referred to as "IEPF Amendment Rules 2017"), Equity Shares of the Company, in respect of which dividend entitlement has remained unclaimed for a consecutive period of Seven (7) years or more, are required to be statutorily transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account of the Government of India.
Accordingly, in terms of Rule 6 (3) of the IEPF Rules 2016, the Company has sent individual notice through registered/speed post on 25 November 2016 to the concerned shareholders whose dividends are lying unclaimed for the last seven (7) consecutive years or more, inter alia providing details of shares being transferred to IEPF Demat Account. Further the statement containing the details of name, address, folio number, demat account number, number of equity shares due for transfer and details of unclaimed dividends for the year ended 31 March 2010 and onwards is made available at the weblink https://magma.co.in/about-us/investor-relations/secretarial-documents/download-secretarial-documents/ for information and necessary action by the shareholders.
In accordance with the IEPF Amendment Rules 2017, issued by the Ministry of Corporate Affairs on 28 February 2017, the due date of transfer in respect of the above shares is 31 May 2017. The concerned shareholders are being provided an opportunity to claim such dividend for the financial year ended 31 March 2010 and onwards by following the procedure as mentioned in the intimation letter dated 25th November 2016 and the same should reach the Nodal officer of the Company, Ms. Shabnum Zaman, Company Secretary at the Registered Office of the Company or our Registrar and Share Transfer Agents, M/s. Niche Technologies Private Limited, D-511, Bagree Market, 5th Floor, 71, B. R. B. Basu Road, Kolkata – 700 001, Tel No. +91 33 22357270/7271, +91 33 2234 3576,E-mail: nichetechpl@nichetechpl.com on or before 15 May 2017.
The concerned shareholders are requested to claim their unclaimed/unpaid dividend amount (s) on or before 15 May 2017, failing the shares in respect of which the dividends are lying unpaid/unclaimed for the last seven (7) consecutive years or more will be transferred to the IEPF Demat Account. It may also be noted that all subsequent corporate benefits that may accrue in relation to the above shares will also be credited to the said IEPF Demat Account.
In case of equity shares held in physical form which are liable to be transferred to IEPF Demat Account, please note that duplicate share certificate(s) will be issued for the purpose of transfer of the same to the IEPF Demat Account as per the IEPF Rules 2016 and upon issue of such duplicate share certificate(s), the original share certificate(s) lying with the concerned shareholder shall stand automatically cancelled. The concerned shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall deemed to be adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Demat Account pursuant to the IEPF Rules 2016. In case of equity shares held in demat mode, the same shall be transferred by the Company to IEPF Demat Account by informing the Depository through corporate action who shall in turn take steps to transfer the shares to the IEPF Demat account.
In case the concerned shareholders wish to claim the shares after transfer to IEPF Demat Account, a separate application has to be made to IEPF Authority in Form IEPF-5, as prescribed under the IEPF Rules 2016 and the same is available at IEPF website www.iepf.gov.in.
In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may write to Ms. Shabnum Zaman, Company Secretary at the Registered Office of the Company or our Registrar and Share Transfer Agents, M/s. Niche Technologies Private Limited, D-511, Bagree Market, 5th Floor, 71, B. R. B. Basu Road, Kolkata – 700 001 or send an e-mail at nichetechpl@nichetechpl.com or by calling at Tel No. +91 33 22357270/7271/+91 33 2234 3576.
For Magma Fincorp Limited
Shabnum Zaman
Date : 5th May 2017 Company Secretary
Place : Kolkata ACS No. 13918

एशियाई चैंपियनशिप में वाकओवर पर कृष्ण से जवाब मांगेगा बीएफआइ

फाइनल में पहुंचे शिव और सुमित, विकास को कांस्य

ताशकंद, 5 मई (भाषा)।

चौथी वरीयता प्राप्त शिव थापा (60 किग्रा) और गैरवरीय सुमित सांगवान (91 किग्रा) ने यहां एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश किया। शिव ने सेमीफाइनल में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और शीर्ष वरीयता प्राप्त मंगोलियाई दोर्जनयामबुग ओटगोनडलाई को हराया जबकि सुमित ने ताजिकिस्तान के दूसरे वरीय जाखोन कुर्बोनोव को पराजित किया। वहीं मिडिलवेट (75 किग्रा) में शीर्ष वरीय विकास कृष्ण को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। उन्होंने सेमीफाइनल में अपने चौथी वरीयता प्राप्त कोरियाई प्रतिद्वंद्वी ली डोंगयुन को वाकओवर दे दिया था।

एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ के एक अधिकारी ने कहा कि विकास कृष्ण शुक्रवार की सुबह वजन कराने के लिए नहीं आए इसलिए उनके दक्षिण कोरियाई प्रतिद्वंद्वी को फाइनल के लिए वाकओवर दे दिया गया। यह पता नहीं चला कि विकास ने मुकाबले में क्यों वाकओवर दिया।

शुक्रवार का दिन हालांकि शिव और सुमित के नाम रहा जिन्होंने अपने अधिक मशहूर प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ जीत दर्ज की। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता शिव एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मंगोलियाई के खिलाफ जजों के विभाजित फैसले में आगे बढ़ने में सफल रहे।

एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ के अधिकारी ने बताया कि सुबह वजन करने की प्रक्रिया के दौरान विकास कृष्ण मौजूद नहीं थे इसलिए दक्षिण कोरिया के उनके विरोधी को फाइनल में वाकओवर दिया गया। मुझे कारण नहीं पता

फाइनल में उनका मुकाबला उज्बेकिस्तान के एलनूर अब्दुरैमोव से होगा जिन्होंने सेमीफाइनल में चीन के जुन शान को हराया। दो बार के ओलंपियन शिव ने शुरू में रक्षात्मक रवैया अपनाया और अपने प्रतिद्वंद्वी को परखने में कुछ समय लगाया। असल में तीन मिनट के पहले राउंड में दोनों मुक्केबाज आक्रमण करने में हिचकिचाते रहे।

भारतीय मुक्केबाज ने हालांकि दूसरे राउंड में आक्रामक रुख अख्तियार किया और दबदबा बनाए रखा। तीसरे राउंड में दोनों के बीच मुकाबला बराबरी का रहा। तब मंगोलियाई मुक्केबाज ने भी आक्रामकता दिखाई लेकिन शिव थापा ने उनकी चुनौती का डटकर सामना किया और आखिर में फैसला उनके अनुकूल रहा।

असम के इस 23 वर्षीय मुक्केबाज ने 2013 में इस प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। तब वह बैंथमवेट वर्ग में खेलते थे। अब वह एशियाई चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय बनने से केवल एक जीत दूर हैं। शिव ने 2015 में बैंथमवेट में ही कांस्य पदक जीता था लेकिन अब वह लाइटवेट वर्ग में खेलते हैं। वह पिछले साल दिसंबर से इस वर्ग में खेल रहे हैं। उनके लिए किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में इस वर्ग में यह पहला पदक होगा।

सुमित शाम के सत्र के आखिरी मुकाबले में उतरे। पिछली बार इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले कुर्बोनोव उन्हें खास चुनौती नहीं दे पाए। भारतीय मुक्केबाज ने चपलता दिखाई और उनके करारे मुक्कों और मजबूत रक्षण के सामने कुर्बोनोव की एक नहीं चली।

भारत ने 2015 में पिछली एशियाई चैंपियनशिप में चार पदक जीते थे। विकास ने तब देश के लिए एकमात्र रजत पदक जीता था जबकि शिव, एल देवेंद्रो सिंह (52 किग्रा) और सतीश कुमार (91 किग्रा से अधिक) ने कांस्य पदक हासिल किए थे।

वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 106 रन से हराया

ब्रिजटाउन, 5 मई (भाषा)।

तेज गेंदबाज शैनोन गैब्रियल ने 11 ओवर में 11 रन देकर पांच विकेट लिए जिससे वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को केवल 81 रन पर ढेर करके दूसरे टैस्ट क्रिकेट मैच में 106 रन से जीत दर्ज की। वेस्ट इंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 268 रन बनाकर पाकिस्तान के सामने 188 रन का लक्ष्य रखा था लेकिन उसकी पारी केवल 34.4 ओवर तक चली। उसके बल्लेबाज गैब्रियल की तेजी से पार पाने में नाकाम रहे जिन्होंने मैच में 92 रन देकर नौ विकेट लिए और उन्हें मैन आफ द मैच चुना गया।

पाकिस्तान के चार बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे जिसमें विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद ने सर्वाधिक 23 रन बनाए। पाकिस्तान की पारी शुरू में ही ताश के पत्तों की तरह ढह गई। लंच तक उसका स्कोर पांच विकेट पर 35 रन था जो इसके बाद जल्द ही सात विकेट पर 36 रन हो गया। सरफराज शाम के सत्र में आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज थे। उनके अलावा मोहम्मद आमिर ने 20 रन बनाए। वेस्ट इंडीज के लिए गैब्रियल के अलावा कप्तान जैसन होल्डर ने 23 रन देकर तीन और अलजारी जोसेफ ने 42 रन देकर दो विकेट लिए। कैरेबियाई टीम ने केवल इन तीन गेंदबाजों का ही उपयोग किया।

वेस्ट इंडीज ने सुबह अपना दसवां विकेट पांच गेंद के अंदर गंवा दिया था। लेग स्पिनर यासिर शाह ने 94 रन देकर सात विकेट लिए।

'विश्व कप के लिए 30 मई तक तैयार हो जाएंगे कोच्चि व कोलकाता'

कोलकाता, 5 मई (भाषा)।

केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने अक्तूबर में होने वाले अंडर-17 फीफा विश्व कप की तैयारियों पर खुशी व्यक्त की और कहा कि कोच्चि और कोलकाता दोनों के मैच स्थल 30 मई तक तैयार हो जाएंगे।

विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन की तैयारियां सही राह पर आगे बढ़ रही हैं। यहीं इस फुटबाल महाकुंभ का फाइनल होगा। गोयल ने स्टेडियम और अभ्यास केंद्रों का दौरा करने के बाद कहा कि मैं यहां की प्रगति से काफी संतुष्ट हूं। अभी भले ही कुछ फिनिशिंग टच देने की जरूरत है। वे 30 मई तक सब कुछ तैयार कर देंगे।

उन्होंने कहा कि सभी परिसर में 'चेंजिंग रूम' और फ्लडलाइट से संबंधित कुछ काम किया जा रहा है। मैंने उन्हें 30 मई तक काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गोयल इससे पहले कोच्चि गए थे और वहां की प्रगति से संतुष्ट नहीं थे लेकिन उन्होंने कहा कि वहां भी काम 30 मई तक पूरा हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि कोच्चि में काम में काफी देरी की गई। लेकिन उन्होंने 30 मई तक काम पूरा करने का आश्वासन दिया है। जब मैच स्थल तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं आकर यहां प्रदर्शनी मैच खेलूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसका सही तरह से आयोजन किया जाएग। हमें हर हालत में 30 मई तक काम पूरा करना होगा।गोयल इसके बाद नवी मुंबई और गुवाहाटी जाएंगे।

खेल मंत्री ने ऐजल-एआइएफएफ विवाद पर गौर करने का किया वादा

खेल मंत्री विजय गोयल ने आज कहा कि वह आइ लीग चैंपियन ऐजल एफसी के प्रस्तावित एकीकृत लीग के 'फर्स्ट डिवीजन' से बाहर रखे जाने की दशा में आमरण अनशन की धमकी पर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से बात करेंगे।

गोयल ने यहां पत्रकारों से कहा कि जहां तक ऐजल एफसी और इंडियन सुपर लीग (आइएसएल) से संबंधित विवाद की बात है तो मैं एआइएफएफ से बात करूंगा। मैं निश्चित तौर पर उनका मसला एआइएफएफ के सामने रखूंगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक आइ लीग चैंपियन टीम से कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है।

असल में ऐजल एफसी विलय की योजना का हिस्सा नहीं है और उस पर सेकेंड डिवीजन में खिसकने का खतरा मंडरा रहा है। नए आइएसएल में मौजूदा आठ क्लबों के साथ कम से कम तीन आई लीग क्लब जुड़ेंगे। एआइएफएफ की इस संबंध में बंगलुरु एफसी, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल से बात चल रही है।

ब्रिटेन की न्यूजीलैंड पर जीत से भारत की राह हुई आसान

इपोह (मलेशिया), 5 मई (भाषा)।

ब्रिटेन की शुक्रवार को यहां अपने आखिरी लीग मैच में न्यूजीलैंड पर 3-2 से जीत से भारत की 26वें सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने की राह आसान हो गई। न्यूजीलैंड के केन रसेल के 58वें मिनट में पेनल्टी कार्नर पर किए गए गोल का मतलब है कि ब्रिटेन के दस अंक हैं और उसका गोल अंतर तीन (12 गोल किए, नौ गोल खाए) है।

भारत का मलेशिया के खिलाफ मैच से पहले गोल अंतर दो (दस गोल किए, आठ गोल खाए) है। मलेशिया ने अपना पहला मैच जापान से ड्रा खेला था लेकिन इसके बाद उसने तीनों मैच गंवाए।

भारत को अपने आखिरी लीग मैच में मलेशिया पर दो गोल के अंतर से जीत दर्ज करनी होगी। इससे उसके दस अंक हो जाएंगे और उसका ब्रिटेन से बेहतर गोल अंतर भी हो जाएगा। यहां तक कि एक गोल का अंतर भी भारत को फाइनल में पहुंचा सकता है लेकिन इसके लिए उसे कम से कम तीन गोल करने होंगे जिससे वह गोल संख्या में ब्रिटेन से आगे निकल जाएगा।

न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में ब्रिटेन की तरफ से सैम वाड (नौवें मिनट), फिल रोपर (39वें) और मार्क ग्लेगहोर्न (49वें मिनट) ने गोल किए। न्यूजीलैंड के लिए डोमिनिक न्यूमैन ने 30वें मिनट में गोल किया जबकि 58वें मिनट में टीम ने पेनल्टी कार्नर हासिल किया जिसे रसेल ने गोल में बदला।

पुणे डीएफए ने कोल्हापुर डीएफए को 1-0 से हराया

मुंबई, 5 मई (भाषा)।

पुणे डीएफए ने ओलंपियन एसएस नारायण ट्रॉफी के लिए खेले जा रहे ऊर्जा सीएपीएफ अंडर-19 फुटबॉल प्रतिभा खोज 2017 टूर्नामेंट के ग्रुप [illegible] लड़कों के मैच में यहां कोल्हापुर डीएफए को 1-0 से हराया। विजेता टीम की तरफ से गोल एडविन फालेरो ने किया। एक अन्य मैच में मुंबई डीएफए ने केंद्रीय विद्यालय स्कूल को 18-1 से करारी शिकस्त दी। विजेता टीम के लिए ब्रायस मिरांडा ने दस गोल किए।

टेलिफंकन क्लब ने जीता ओमनाथ सूद टूर्नामेंट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 मई।

दिल्ली के रणजी खिलाड़ी योगेश नागर के हरफनमौला खेल के बाद शिवम शर्मा और अंकित डबास की शानदार गेंदबाजी से टेलिफंकन क्रिकेट क्लब ने यहां एससी स्पोर्ट्स फरीदाबाद को 49 रन से हराकर 37वें ओमनाथ सूद क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता।

नागर ने 69 गेंदों पर सात चौकों और तीन छक्कों की मदद से 92 रन बनाए। उन्होंने पार्थ मदान (69) के साथ पांचवें विकेट के लिए 75 रन और डेथ ओवरों में अभिषेक खंडेलवाल (34) के साथ 70 रन की उपयोगी साझेदारी की जिससे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरे टेलिफंकन क्लब ने शुरुआती झटकों के बावजूद निर्धारित 40 ओवरों में सात विकेट पर 262 रन बनाए।

इसके जवाब में एसी स्पोर्ट्स की टीम 36.4 ओवर में 213 रन पर आउट हो गई। उसकी तरफ से गौरव चितकारा ने सर्वाधिक 89 रन बनाए। टेलिफंकन क्लब के लिए शिवम शर्मा और अंकित डबास ने तीन-तीन जबकि नागर ने दो विकेट लिए। डबास को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया।

मुख्य अतिथि हरीश मखीजा व मदन खुराना ने विजेता टीम के कप्तान योगेश नागर को स्पेरी ट्राफी व 1,25,000 का नगद इनाम और उपविजेता टीम के कप्तान विक्रम धारीवाल को ओसीएमएस ट्राफी व 75 हजार रुपए का नगद इनाम दिया गया। इसके अतिरिक्त बीडीएम मैंन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार अंकित डबास, बी.डी.एम सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का गौरव चितकारा व गेंदबाज का पुरस्कार हिमांक सिंह को प्रदान किया गया। उभरते हुए खिलाड़ी का पुरस्कार मनन भारद्वाज व राघव मोंगिया को बीडीएम क्रिकेट किट के रूप में दिया गया।

अभिषेक के शतक से मॉडर्न स्कूल जीता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 मई।

सलामी बल्लेबाज अभिषेक जैन के तूफानी शतक (123 रन 63 गेंद 14 चौके और तीन छक्के) और ऋतिक शौकीन की उम्दा गेंदबाजी (4/20) की बदौलत मॉडर्न स्कूल बाराखम्बा रोड ने डीपीएस मेरठ को 121 रनों के भारी अंतर से पराजित कर एसआइएस टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल की। मॉडर्न स्कूल के 217 रनों के जबाब में डीपीएस की टीम सिर्फ 96 रनों पर ही आउट हो गई।

मक्कड़ क्रिकेट में वैभव की घातक गेंदबाजी : मध्यम पेसर वैभव राव की घातक गेंदबाजी (12-0-49-8)और कविश जैन 47 के शानदार खेल की मदद से वंडर्स क्लब उदयपुर ने प्लेयर्स अकादमी को 13 रनों से यंग फ्रेंड्स क्लब द्वारा आयोजित रंजन शोरे ट्रॉफी के लिए खेले जा रहे तीसरे सरदारी लाल मक्कड़ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट हराया।

लक्ष्मण क्रिकेट में सारंग और विशाल चमके : सारंग रावत (30 रन और 2/30) और विशाल चौधरी (24 नाबाद) के प्रदर्शन के बाद आरिश आलम की सटीक गेंदबाजी (3/09) की सहायता से आरपी अकादमी ने विजय दहिया अकादमी को 70 रनों से हराकर तैतीसवें आल इंडिया लक्ष्मण दास छाबड़ा मेमोरियल के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

PG
पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड
CIN: L32109DL2003PLC119416
पंजी. कार्यालय: डीटीजे209, 2 फ्लोर, डीएलएफ टॉवर-बी, जसोला, नई दिल्ली-110025
फोन: 91-120-2569323
ईमेल: investors@pgel.in; वेबसाइट: www.pgel.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 31 मार्च 2017 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों और कार्यसूची की अन्य मदों पर विचार करने एवं इसकी मंजूरी देने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार 15.05.2017 को सायं 4.45 बजे कंपनी के कार्पोरेट कार्यालय, पी-4/2 से 4/6, साइट बी, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, (यू.पी.) में आयोजित की जाएगी।

यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.pgel.in पर भी उपलब्ध है तथा इसे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com से भी प्राप्त की जा सकता है।

कृते पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड
हस्ता/-
स्थान: ग्रेटर नोएडा (प्रमोद गुप्ता)
तिथि: 04.05.2017 प्रबंध निदेशक

LUMAX
ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लि.
पंजी. कार्यालय: बी-85-86, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, नई दिल्ली-110064
website: www.lumaxindustries.com, Tel: 011-28116990, Fax: 011-28115779
Email: lumaxshare@lumaxmail.com, CIN: L74899DL1981PLC012804

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 तथा 47 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शनिवार, 13 मई, 2017 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए 4थी तिमाही/अंकेक्षित वार्षिक वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे तथा वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी की इक्विटी शेयरों पर लाभांश की सिफारिश की जाएगी।

इस वित्तीय परिणामों को कंपनी की वेबसाईट www.lumaxindustries.com के साथ ही साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईट www.nseindia.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
स्थान: नई दिल्ली श्वेतांक तिवारी
तिथि: 05.05.2017 कंपनी सचिव

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India
नोएडा मिड कॉर्पोरेट शाखा, शॉप नं. 2, ब्लॉक बी-1, सेक्टर-50, नोएडा, जिला गौतमबुध नगर-उ.प्र., टेली.: 0120-2500421
ई-मेल: noidacorporate.ghaziabad@bankofindia.co.in

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **बैंक ऑफ इंडिया** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 15.7.2017 जारी कर ऋणधारक मै. अखिल जैन प्रा. लि., गारंटर श्री जी.सी. जैन, पुत्र श्री प्रेम चन्द जैन, श्री रिषभ जैन, पुत्र श्री जी.सी. जैन, श्रीमती पूर्णिमा जैन, पत्नी श्री रिषभ जैन, श्रीमती विजया जैन, पत्नी श्री जी.सी. जैन, श्रीमती सीमा जैन, पत्नी श्री संजय जैन तथा मै. पनामा पॉली प्रॉडक्ट्स प्रा. लि. को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **रु. 7,32,30,976.00 (रुपए सात करोड़ बत्तीस लाख तीस हजार नौ सौ छियत्तर मात्र)** के साथ 15.7.2016 से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज तथा संपूर्ण भुगतान तक अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक मै. अखिल जैन प्रा. लि., गारंटर्स श्री जी.सी. जैन, पुत्र श्री प्रेम चन्द जैन, श्री रिषभ जैन, पुत्र श्री जी.सी. जैन, श्रीमती पूर्णिमा जैन, पत्नी श्री रिषभ जैन, श्रीमती विजया जैन, पत्नी श्री जी.सी. जैन, श्रीमती सीमा जैन, पत्नी श्री संजय जैन तथा मै. पनामा प्रॉडक्ट्स प्रा. लि. तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज **दिनांक 2 मई, 2017** को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 15.7.2016 से उस पर आगे के ब्याज अनुबंधित दर पर तथा अन्य चार्जेज के साथ **रु. 7,32,30,976.00 (रुपए सात करोड़ बत्तीस लाख तीस हजार नौ सौ छियत्तर मात्र)** के लिए **बैंक ऑफ इंडिया** के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारकों तथा गारंटरों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

मै. पनामा पॉली प्रॉडक्ट्स प्रा. लि. के नाम में खाता नं. 57, खसरा नं. 2582 में स्थित गैर-कृषि भूमि, भूमि का क्षेत्रफल 1/4950 हेक्टेयर (14950 वर्ग मी.) ग्राम- धूम मानिकपुर, परगणा एवं तहसील-दादरी, जिला-जी.बी. नगर (उ.प्र.) का सभी भाग एवं हिस्सा।
चौहद्दी: उत्तर- पूर्व- खसरा नं. 2583, दक्षिण-पश्चिम- अन्य भूमि, उत्तर-पश्चिम- नाली एवं 12.0 फीट चौड़ी चाक रोड, दक्षिण-पूर्व- 40 फीट चौड़ी अमका रोड।

बैंक ऑफ इंडिया के लिए
तिथि: 2.5.2017, स्थान: नोएडा मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank ...the name you can BANK upon!
बीओ: संसद मार्ग, नई दिल्ली
[नियम- 8 (1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक, बीओ: संसद मार्ग, नई दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 21.11.2016 जारी कर ऋणधारक मै. अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लि., पंजी. कार्यालय: 307, निपुण टावर, कड़कड़डूमा, कम्युनिटी सेंटर, दिल्ली-110092 एवं नीचे नामित गारंटरों/ कॉर्पोरेट गारंटरों: i) श्री अनिल कुमार शर्मा, पुत्र श्री मदन मोहन शर्मा, निवासी 83, एजीसीआर एन्क्लेव, दिल्ली- 110092, ii) श्री अजय कुमार, पुत्र श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, निवासी ए-302, प्लॉट नं. 11/2, सेक्टर- 3, वैशाली, गाजियाबाद- 201010, उत्तर प्रदेश, iii) श्री शिव प्रिया, पुत्र श्री किशोरी मोहन शर्मा, निवासी बीपी- 801, आम्रपाली एक्जोटिका, सेक्टर- 50, नोएडा- 301201, उत्तर प्रदेश को सूचना तिथि 21.11.2016 में वर्णित राशि 31.8.2016 को रु. 54,61,75,382.00 (रुपए चौवन करोड इकसठ लाख पचहत्तर हजार तीन सौ बयासी मात्र) तथा अनुषांगिक चार्जेज आदि के साथ उक्त राशि पर अनुबंधित दर पर 1.9.2016 से भविष्य के/ अभिलेखित ब्याज उक्त उक्त सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/ गारंटर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/ गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 2 मई, 2017 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/ गारंटरों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.8.2016 को 54,61,75,382.00 (रुपए चौवन करोड़ इकसठ लाख पचहत्तर हजार तीन सौ बयासी मात्र) तथा अनुषांगिक चार्जेज आदि के साथ उक्त राशि पर अनुबंधित दर पर 1.9.2016 से भविष्य के ब्याज/ अभिलेखित ब्याज की राशि के लिए पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

संपत्ति का विवरण: बिल्डिंग/ सुपरस्ट्रक्चर तथा अन्य परिसंपत्तियों चल अथवा अचल/ ग्राउंड पर स्थापित, उस पर निर्मित, के साथ नीचे वर्णित भूमि से शामिल:
1. बुक नं. 1, जिल्द नं.: 3694, पृष्ठ 53/ 242 पर पंजीकरण सं. 2723 के रूप में सब रजिस्ट्रार एस्युरैंस (प्राथम), नोएडा के कार्यालय में 5 जून, 2013 को पंजीकृत उत्तर प्रदेश राज्य में नोएडा के सेक्टर 62 में स्थित लीजहोल्ड संस्थानिक भूमि के प्लॉट, माप 800 वर्ग मी. तथा उस पर भवन जिसका कुल कवर्ड एरिया माप 1318.73 वर्ग मी. है सं. 56/27, ब्लॉक ''सी'' से संबंधित उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री आशुतोष कुमार झा के माध्यम से आईईसी एडुकेशन लि. तथा उसके निदेशक श्री अजय कुमार के माध्यम से मै. अल्ट्रा होम कंट्रक्शन प्रा.लि. के बीच निष्पादित अंतरण प्रलेख सह बिक्री प्रलेख तिथि 05 जून, 2013 में वर्णित संपत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

पंजाब नेशनल बैंक के लिए
स्थान: नोएडा हस्ता./-
तिथि: 02.05.2017 प्राधिकृत अधिकारी

कार्यालय: रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001
बिक्री उद्घोषणा सूचना

आर.सी. नं. 318/2016 **पीएसबी बनाम श्री रोहित रल्हान** तिथि: 7.4.2017

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उदघोषणा

1. **श्री रोहित रल्हान, पुत्र स्व. श्री आर.के.रल्हान निवासी. डी-30ए, सुमन कॉलोनी, छत्तरपुर एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110074: साथ ही: मकान सं. 505, प्रथम तल, (एसके-III/505), शक्ति खंड-III, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र.-110074**
2. **श्रीमती कल्पना रल्हान, पत्नी स्व. श्री आर.के.रल्हान, निवासी. डी-30ए, सुमन कॉलोनी, छत्तरपुर एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110074: साथ ही: मकान सं. 505, प्रथम तल, (एसके-III/505), शक्ति खंड-III, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र.-110074**
3. **श्री उमेश कुमार, पुत्र श्री बुधराम, निवासी मकान सं. सी.-II/7, पॉकेट-सी-11, यमुना विहार, दिल्ली-110053**

जैसा कि आप, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा ओ.ए.नं. 513/2014/डीआरटी-III/दिल्ली में वसूली प्रमाणपत्र के संदर्भ में आपके द्वारा देय रु. 17,21,191/- (रुपए सत्तरह लाख इक्कीस हजार एक सौ इक्यानवे मात्र) तथा प्रमाणपत्र के अनुसार देय ब्याज एवं लागतों का भुगतान करने में असफल रहे हैं।

और, जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित प्रमाणपत्र की संतुष्टि के लिए निम्न अनुसूची में निर्देशित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

और जैसा कि रु. 17,21,191/-(रुपए सत्तरह लाख इक्कीस हजार एक सौ इक्यानवे मात्र) तथा लागत एवं 31.7.2014 से साधारण दर पर 13.75% प्रतिवर्ष की दर से उसकी संपूर्ण वूसली तक ब्याज संयुक्त एवं पृथक रूप से प्रतिवादियों के प्रति बकाया है।

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में, कथित संपत्ति की बिक्री 13.6.2017 को ई-नीलामी द्वारा की जाएगी तथा बोली ''ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक बिडिंग'' के माध्यम से वेसबाईट https://www.drt.auctiontiger.net मैसर्स ई-प्रोक्यूरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (एबीसी प्रोक्यूर), ए-201/208, वाल स्ट्रीट-II, सम्मुख ओरिएंट क्लब के निकट गुजरात कॉलेज एलिस ब्रिज अहमदाबाद-380006, गुजरात (भारत) टेली.: +91 7940016800, फैक्स नं.: +917940016876, संपर्क व्यक्ति श्री कुशल कोठारी, फोन नं. 8980690773, ई-मेल : Kaushal@auctiontiger.net के माध्यम से की जाएगी।

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए संपर्क करें: सीएच बैंक के अधिकारी श्री सलीम खान, मो.: 9983247300

निम्नलिखित अनुसूची में उपरोक्त नामित प्रतिवादी की संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा कथित संपत्ति से संलग्न देयताएं एवं दावे, जहां तक कि वे निश्चित किए गए हैं, वे है जो प्रत्येक लॉट के विरुद्ध अनुसूची में वर्णित अनुसार हैं।

संपत्ति को अनुसूची में वर्णित लॉट्स में बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि वसूली जाने वाली राशि संपत्ति के किसी बिक्री द्वारा वसूल जी जाती है तो शेष के संपत्ति के संदर्भ में बिक्री तुरंत बंद कर दी जाएगी। बिक्री तब भी बंद कर दी जाएगी यदि किसी लॉट की बोली होने से पूर्व, कथित प्रमाणपत्र में निर्देशित बकाया राशि, ब्याज एवं लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री संचालित करने वाले अधिकारी के पास निवेदित की जाती है या उसकी संतुष्टि के लिए यह साक्ष्य दिया जाता है कि ऐसे प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है।

कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसको बिक्री के संदर्भ में कोई कर्त्तव्य निष्पादित करना है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति अर्जित नहीं करेंगे या बेची गई संपत्ति में कोई हित नहीं अर्जित करेंगे। बिक्री आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शर्त तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली तथा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी।

संलग्न अनुसूची में वर्णित विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिए गए हैं तथा अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत-बयानी या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

1. आरक्षित मूल्य जिसके कम में संपत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी, रु. 35,00,000/- (रुपए पैंतीस लाख मात्र) है।
2. वह राशि जिसके द्वारा बोली की वृद्धि की जाएगी रु. 50,000/- (रुपए पचास हजार मात्र) है। बोली राशि या बोलीदाता के संदर्भ में किसी विवाद पैदा होने की स्थिति में, लॉट को पुनः नीलामी के लिए रखा जाएगा।
3. उच्चतम बोलीदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। अधोहस्ताक्षरी का यह विवेकाधिकार होगा कि वह उच्चतम बोली को स्वीकार करने से मना कर दे जबकि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से इस प्रकार अपर्याप्त लगे कि एसो करना अविवेकपूर्ण लगे।
4. धरोहर राशि रु. 350000/- (रुपए तीन लाख पचास हजार मात्र) रिकवरी अधिकारी II, डीआरटी-III, नई दिल्ली के पास वूसली अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा 10.06.2017 तक जमा करना होगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी नीलामी में भागीदारी के लिए विचारणीय नहीं होगी।
5. पैन कार्ड, पता साक्ष्य तथा पहचान साक्ष्य की प्रति, ई-मेल, मोबाइल नंबर तथा घोषणा यदि वे अपने स्वयं की ओर से या अपने मालिकों की ओर से बोली करना चाहते हैं। बाद की स्थिति में, उनको अपना प्राधिकार जमा करना होगा तथा इसमें असफल रहने पर उनकी बोलियां निरस्त कर दी जाएंगी। कंपनी के मामले में, कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति या कोई अन्य दस्तावेज जो कि कंपनी के प्रतिनिधित्व/अटार्नी को अभिपुष्ट करता हो तथा उस जमा राशि की रसीद/काउंटर फाइल सेवा प्रदाता या सीएच बैंक के पास कथित तिथि तक ई-मेल द्वारा या अन्यथा पहुंच जाना चाहिए तथा हार्ड प्रति, वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के समक्ष जमा करना होगा।
6. सफल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 4 में वर्णित विवरणों के अनुसार कथित खाते में धरोहर राशि के समायोजन के पश्चात अपनी अंतिम बोली राशि की 25% राशि जमा करनी होगी।
7. क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व अंतिम बोली राशि कर 75% राशि जमा करनी होगी। यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश पड़ता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस पर उपरोक्त पैरा 4 में कथित अनुसार निर्धारित तरीके से जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, क्रेता को रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रु. 1000/- तक @ 2% तथा रु. 1000/- से अधिक की राशि पर @ 1% पाउंडेज शुल्क वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, के पास जमा करना होगा।
8. निर्धारित अवधि में भुगतान करने में असफल रहने पर, संपत्ति की बिक्री की नई उद्घोषणा जारी होने के बाद पुनः बिक्री की जाएगी। यदि अधोहस्ताक्षरी उचित समझते हैं तो बिक्री के खर्चे को घटाने के बाद जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता के संपत्ति या उसके किसी हिस्से, जिसे बाद में बेचा जा सकता है, पर सभी दावे जब्त हो जाएंगे। ''संपत्ति की बिक्री जैसा कि जहां का आधार है और जैसा कि आधार है''

अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करन, यदि अनुपयुक्त पाई जाती है, या किसी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

संपत्ति की अनुसूची

लाट नं.	बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण सह- स्वामियों जहां संपत्ति डिफॉल्टर से संबंधित है या सह-स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के नाम सहित	संपत्ति या इसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	किसी अन्य ऋणभार का विवरण, जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा कोई अन्य ज्ञात विवरण जिसमें इसकी प्रकृति एवं मूल्य हो
1	2	3	4	5
	सम्पत्ति, मकान सं. 505, संपूर्ण प्रथम तल (एसके-III/505 के नाम से भी विदित) शक्ति खंड-III, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र. 201014	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर सहित 7 अप्रैल, 2017 को जारी
(सुजीत कुमार)
रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली

कार्यालय: रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001
बिक्री उद्घोषणा सूचना

आर.सी. नं. 16/2017 **पंजाब एंड सिंध बैंक बनाम श्री सूर्यभान यादव एवं अन्य** तिथि: 28.4.2017

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उदघोषणा

श्री सूर्य भान यादव, ए 3/36, II रा तल, सेक्टर-15, दिल्ली-110085. साथ ही: एफ 1/54, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110085
श्रीमती सुरेखा यादव, ए 3/36, II रा तल, सेक्टर-15, दिल्ली-110085. साथ ही: एफ 1/54, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110085
श्री मुरारी राम यादव, पुत्र श्री बिशई यादव, एफ 1/54, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110085
श्री प्रदीप दुआ, पुत्र श्री तीरथ दास, 216, साहिबाबाद दौलतपुर, दिल्ली-110042, साथ ही: बी 7/35, Iला तल, सेक्ट-17, रोहिणी, दिल्ली-110085

जैसा कि आप प्रमाण पत्र डेब्टर्स से संयुक्त अथवा पृथक रूप से लागत, खर्चे तथा 18.9.2014 से उसकी संपूर्ण वसूली तक 13% साधारण दर से ब्याज के साथ पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली द्वारा ओ.ए. नं. 632/2014/डीआरटी-III में तैयार रिकवरी प्रमाण पत्र तिथि 3.1.2017 के अनुसार रु. 23,95,129/- (रुपए तेईस लाख पंचानवे हजार एक सौ उन्नतीस मात्र) की राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं जो आप पर बकाया हो गया है।

तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाणपत्र की संतुष्टि के लिए तालिका में नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है। तथा जैसा कि ओए दाखिल करने की तिथि अर्थात 18.9.2014 से उसकी वसूली तक संयुक्त तथा पृथक रूप से रु. 23,95,129/- (रुपए तेईस लाख पंचानवे हजार एक सौ उन्नतीस मात्र) के साथ लागत तथा 13% साधारण दर से ब्याज की राशि सीडी'ज के विरुद्ध बकाया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में, कथित संपत्ति की बिक्री 4.7.2017 को ई-नीलामी द्वारा की जाएगी तथा बोली ''ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक बिडिंग'' के माध्यम से वेसबाईट https://www.drt.auctiontiger.net मैसर्स ई-प्रोक्यूरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (एबीसी प्रोक्यूर), ए-201/208, वाल स्ट्रीट-II सम्मुख ओरिएंट क्लब के निकट गुजरात कॉलेज एलिस ब्रिज अहमदाबाद-380006, गुजरात (भारत) टेली.: +91 7940016800, फैक्स नं.: +917940016876, संपर्क व्यक्ति श्री कुशल कोठारी, मोबाइल नं. 08980690773, ई-मेल आईडी: Kaushal@auctiontiger.net के माध्यम से की जाएगी।

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए संपर्क करें: सीएच बैंक के अधिकारी श्री सलीम खान, मो.: 9983247300

निम्नलिखित अनुसूची में उपरोक्त नामित प्रतिवादी की संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा कथित संपत्ति से संलग्न देयताएं एवं दावे, जहां तक कि वे निश्चित किए गए हैं, वे है जो प्रत्येक लॉट के विरुद्ध अनुसूची में वर्णित अनुसार हैं।

संपत्ति को अनुसूची में वर्णित लॉट्स में बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि वसूली जाने वाली राशि संपत्ति के किसी बिक्री द्वारा वसूल जी जाती है तो शेष के संपत्ति के संदर्भ में बिक्री तुरंत बंद कर दी जाएगी। बिक्री तब भी बंद कर दी जाएगी यदि किसी लॉट की बोली होने से पूर्व, कथित प्रमाणपत्र में निर्देशित बकाया राशि, ब्याज एवं लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री संचालित करने वाले अधिकारी के पास निवेदित की जाती है या उसकी संतुष्टि के लिए यह साक्ष्य दिया जाता है कि ऐसे प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है।

कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसको बिक्री के संदर्भ में कोई कर्त्तव्य निष्पादित करना है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति अर्जित नहीं करेंगे या बेची गई संपत्ति में कोई हित नहीं अर्जित करेंगे। बिक्री आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शर्त तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली तथा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी।

संलग्न अनुसूची में वर्णित विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिए गए हैं तथा अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत-बयानी या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

1. आरक्षित मूल्य जिसके कम में संपत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी, रु. 24.30 लाख (रुपए चौबीस लाख तीस हजार मात्र) है।
2. वह राशि जिसके द्वारा बोली की वृद्धि की जाएगी रु. 1,00,000/- है। बोली राशि या बोलीदाता के संदर्भ में किसी विवाद पैदा होने की स्थिति में, लॉट को पुनः नीलामी के लिए रखा जाएगा।
3. उच्चतम बोलीदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। अधोहस्ताक्षरी का यह विवेकाधिकार होगा कि वह उच्चतम बोली को स्वीकार करने से मना कर दे जबकि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से इस प्रकार अपर्याप्त लगे कि एसो करना अविवेकपूर्ण लगे।
4. धरोहर राशि रु. 2,43,000/- (रुपए दो लाख तैंतालिस हजार मात्र) रिकवरी अधिकारी II, डीआरटी-III, नई दिल्ली के पास वूसली अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा 30.06.2017 तक जमा करना होगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी नीलामी में भागीदारी के लिए विचारणीय नहीं होगी।
5. पैन कार्ड, पता साक्ष्य तथा पहचान साक्ष्य की प्रति, ई-मेल, मोबाइल नंबर तथा घोषणा यदि वे अपने स्वयं की ओर से या अपने मालिकों की ओर से बोली करना चाहते हैं। बाद की स्थिति में, उनको अपना प्राधिकार जमा करना होगा तथा इसमें असफल रहने पर उनकी बोलियां निरस्त कर दी जाएंगी। कंपनी के मामले में, कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति या कोई अन्य दस्तावेज जो कि कंपनी के प्रतिनिधित्व/अटार्नी को अभिपुष्ट करता हो तथा उस जमा राशि की रसीद/काउंटर फाइल सेवा प्रदाता या सीएच बैंक के पास कथित तिथि तक ई-मेल द्वारा या अन्यथा पहुंच जाना चाहिए तथा हार्ड प्रति, वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के समक्ष जमा करना होगा।
6. सफल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 4 में वर्णित विवरणों के अनुसार कथित खाते में धरोहर राशि के समायोजन के पश्चात अपनी अंतिम बोली राशि की 25% राशि जमा करनी होगी।
7. क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व अंतिम बोली राशि कर 75% राशि जमा करनी होगी। यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश पड़ता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस पर उपरोक्त पैरा 4 में कथित अनुसार निर्धारित तरीके से जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, क्रेता को रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रु. 1000/- तक @ 2% तथा रु. 1000/- से अधिक की राशि पर @ 1% पाउंडेज शुल्क वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, के पास जमा करना होगा।
8. निर्धारित अवधि में भुगतान करने में असफल रहने पर, संपत्ति की बिक्री की नई उद्घोषणा जारी होने के बाद पुनः बिक्री की जाएगी। यदि अधोहस्ताक्षरी उचित समझते हैं तो बिक्री के खर्चे को घटाने के बाद जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता के संपत्ति या उसके किसी हिस्से, जिसे बाद में बेचा जा सकता है, पर सभी दावे जब्त हो जाएंगे। संपत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है आधार'' पर की जाएगी।

अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने, यदि अनुपयुक्त पाई जाती है, या किसी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

संपत्ति की अनुसूची

लाट नं.	बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण सह- स्वामियों जहां संपत्ति डिफॉल्टर से संबंधित है या सह-स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के नाम सहित	संपत्ति या इसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	किसी अन्य ऋणभार का विवरण, जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा कोई अन्य ज्ञात विवरण जिसमें इसकी प्रकृति एवं मूल्य हो
1.	संपत्ति सं. ए-3/36, सेक्टर-15, माप 48 वर्ग मी. जो रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित है।	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर सहित 28 अप्रैल, 2017 को जारी
(सुजीत कुमार)
रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली